न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेड़ा जिला–भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:—महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—196 / 2020 प्रार्थना पत्र

श्री मोहन पिता धन्ना खाती उम्र वयस्क नि.डोडखेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।

——प्रार्थी।

बनाम

1— सोहन पुत्र गोमा जाति कुम्हार फौत के बजाय कायम मुकाम—
1/1—शांति पत्नि सोहन जाति कुम्हार उम्र वयस्क निवासी डोडखेड़ा तहसील करेड़ा।
1/2—सीता पुत्री सोहन जाति कुम्हार उम्र वयस्क निवासी डोडखेड़ा तहसील करेड़ा।
2— जस्सू पुत्री गोमा जाति कुम्हार उम्र वयस्क निवासी डोडखेड़ा तहसील करेड़ा।
3— चन्द्री पुत्री गोमा जाति कुम्हार उम्र वयस्क निवासी डोडखेड़ा तहसील करेड़ा।
4— कोयली पुत्री गोमा जाति कुम्हार उम्र वयस्क निवासी डोडखेड़ा तहसील करेड़ा।
5— सुखी पुत्री गोमा जाति कुम्हार उम्र वयस्क निवासी डोडखेड़ा तहसील करेड़ा।
6— छीतर पुत्र रूपा बलाई उम्र वयस्क निवासी डोडखेड़ा तहसील करेड़ा।
7— उदा पुत्र रूपा बलाई उम्र वयस्क निवासी डोडखेड़ा तहसील करेड़ा।
8— रूकमणी पत्नि स्व. रूपा उम्र वयस्क निवासी डोडखेड़ा तहसील करेड़ा।
9— छोगा मुतबन्ना गोकल कुम्हार उम्र वयस्क निवासी डोडखेड़ा तहसील करेड़ा।
10—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेड़ा जिला भीलवाड़ा। ——विपक्षीगण।

प्रार्थना पत्र बाबत अंतर्गत धारा 251—ए राज.टिनेन्सी एक्ट 1955

उपस्थित:—
1—श्री मुकेशसिंह तंवर — अधिवक्ता—प्रार्थी।
2—विपक्षीगण — एक पक्षीय कार्यवाही।

दिनांक:—22.02.2021

:: निर्णय ::

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—ए रा0का0अधिनियम विरूद्ध विपक्षी पेश किया गया। प्रार्थना पत्र बाद जांच रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को उजरदारी पेश करने हेतु न्यायालय द्वारा सम्मन जारी किया गया। सम्मन बाद तामील शामिल फायल है। प्रकरण में प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण में विपक्षीगण के अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया गया। प्रकरण में तहसीलदार करेड़ा से मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त की जाकर शामिल फायल की गई।

प्रकरण में प्रार्थी के अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि ग्राम डोडखेड़ा पटवार हल्का चिलेश्वर तहसील करेड़ा खाता सं. 153 में आ0नं0 448 / 1, 449, 450, 451, 452, 473, 474 कुल किता 07 रकबा 05 बीघा 19 बिस्वा भूमि प्रार्थी के खातेदारी [illegible] प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि पर आने—जाने के लिये ग्राम डोडखेड़ा की आबादी से चले आ[illegible]के बाद कोई रेकॉर्डशुदा रास्ता मौजूद नहीं है। इससे आगे विपक्षी [illegible] आराजी नंबर 483 में से होते, विपक्षी सं. 06 लगायत 08 की [illegible] सं0 9 की खातेदारी आराजी नंबर 479 की मेड के मध्य से होते हुये ही प्रार्थी की आराजी पर पहुंचने का [illegible] रास्ता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.03.26 16:14:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

इसके अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता विद्यमान नहीं है परन्तु उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं होने के कारण विपक्षीगण द्वारा उक्त रास्ते को आये दिन बंद कर दिया जाता है जिसके कारण प्रार्थी को अपनी आराजियात पर आने–जाने के लिये तथा कृषि उपकरण ट्रेक्टर, ट्रोली, हल आदि लाने–ले जाने में काफी समस्याओ का सामना करना पड़ता है। प्रार्थी की आराजियात पर पहुंचने का एक मात्र रास्ता है इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है तथा प्रार्थी को उक्त रास्ते की आन्तयिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की चरण सं.1 में वर्णित आराजी पर आने–जाने हेतु 20 फीट चौड़ा नया रास्ता दिलाने आदेश प्रदान कराते हुये, विपक्षीगण के लिये नियमानुसार डी.एल.एस.दर से प्रतिकर रकम का निर्धारण करा, उक्त रास्ते को नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहरीर तहसीलदार के नाम प्रदान करावें।

प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। तहसीलदार करेड़ा की मौका जांच रिपोर्ट एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की आराजियात पर मौके पर जाने हेतु कोई रास्ता नहीं है। आ0नं0 479 रकबा 0.19 बीघा मे से रास्ता छोड़ कर मेड़ पर थोर वगैरह लगा रखे थे जिस पर छीतर,उदा पिता रूपा, रूकमणी पत्नि रूपा बलाई निवासी डोडखेड़ा ने पत्थर वगैरह की दीवार बनाकर कब्जा कर रास्ता बंद कर दिया है। विपक्षी छोगा मु0 गोकल कुम्हार अपनी आ0नं0 479 रकबा 0.19 बीघा मे से 0.02 बीघा व विपक्षी शांति पत्नि स्व0 सोहन पुत्री गोमा एवं जस्सू पुत्री गोमा कुम्हार वगैराह ग्राम डोडखेड़ा की अपनी आ.नं. 483 रकबा 3.11 बीघा में से रकबा 0.02 बीघा का रास्ता दिये जाने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होने के मौका पर्चा में हस्ताक्षर किये गये है। मौका पर्चा एवं नक्शा ट्रेश अनुसार प्रार्थी की आराजियात पर आने–जाने हेतु विपक्षी शांति पत्नि स्व0 सोहन पुत्री गोमा एवं जस्सू पुत्री गोमा कुम्हार वगैराह की आ0नं0 483 के मध्य मे से रकबा 0.02 बीघा एवं विपक्षी छोगा मुतबन्ना गोकल कुम्हार की आ0नं0 479 की उत्तरी मेड के सहारे–सहारे रकबा 0.02 बीघा भूमि को रास्ते के रूप में कायम किया जाना न्यायोचित है। अतएव

:: आदेश ::

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम डोडखेड़ा में स्थित प्रार्थी की आ0नं0 448/1, 449, 450, 451, 452, 473, 474 कुल किता 07 रकबा 05 बीघा 19 बिस्वा भूमि में आने–जाने के लिये प्रस्तावित नक्शा ट्रेश अनुसार विपक्षी शांति पत्नि स्व.सोहन पुत्री गोमा एवं जस्सू पुत्री गोमा कुम्हार वगैराह की ग्राम डोडखेड़ा की आ.नं. 483 रकबा 3.11 बीघा के मध्य में से रकबा 0.02 बीघा, विपक्षी छोगा मु0 गोकल कुम्हार की आ0नं0 479 रकबा 0.19 बीघा में से 0.02 बीघा उत्तरी मेड़ के सहारे–सहारे की भूमि को 15 फीट चौड़े गै0मु0रास्ते के रूप में राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने तथा राजस्व नक्शे में तरमीम किये जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। तहसीलदार करेड़ा रास्ते की भूमि के प्रतिकर की राशि का डीएलसी दर की दो गुणा से निर्धारण कर प्रतिकर की राशि का उपरोक्त विपक्षीगण को भुगतान करे। एवं तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2021 को सरे ईजलाश सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.03.26 16:14:37 IST
Reason: SelfAttested

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा